



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 9 मई, 2015 ई० (वैशाख 19, 1937 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड-पत्र, खण्ड-क-नगरपालिका परिषद, खण्ड-ख-नगर पंचायत,
खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ-जिला पंचायत।

खण्ड घ जिला पंचायत

18 अप्रैल, 2015 ई०

सं० 136/110जि०पं०/2013-14/स्था०नि०सहा०-उपविधि/2014-15-जिला पंचायत, मीरजापुर द्वारा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1981 की धारा 239 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर, जनपद मीरजापुर के ग्रामीण क्षेत्रों (टाउन एरिया एवं नोटिफाइड एरिया को छोड़कर) में विभिन्न व्यवसायों को विनियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाई गयी उपविधि जो दिनांक 03 अप्रैल, 1992 (यथा संशोधित 2006) से लागू है, में निर्दिष्ट मदों की दरों में संशोधन तथा कतिपय अन्य मद जो उपर्युक्त उपविधि में सम्मिलित नहीं थे, को सम्मिलित किये जाने हेतु संशोधन प्रस्तावित है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित किया जाता है। यह उपविधि गजट में प्रकाशन होने की तिथि से लागू समझी जाये। इस उपविधि के लागू होने के उपरान्त पूर्व प्रख्यापित उपविधि जो दिनांक 03 अप्रैल 1992 (यथा संशोधित 02 नवम्बर, 2006) से लागू है, का संशोधित अंश निरस्त समझा जायेगा।

उपविधि

उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) की धारा 239 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर जनपद मीरजापुर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित व्यवसायों को विनियमित एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाई गयी उपविधि जिसका प्रकाशन आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी के पूर्व अनुमोदन उत्तर प्रदेश गजट के 29 अगस्त, 1992 (भाद्र 7, 1913 शक सम्वत्) में अधिसूचना संख्या 2115/21-14(88-91) स्था०नि०सं०, दिनांक 03 अप्रैल, 1992 द्वारा प्रकाशित होकर दिनांक 02 अप्रैल, 1992 को प्रवृत्त हुआ था में निर्दिष्ट मदों की दरों में संशोधन तथा कतिपय अन्य मद जो उपरोक्त उपविधि में सम्मिलित नहीं थे, को सम्मिलित किये जाने हेतु संशोधन प्रस्तावित है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित किया जाता है। यह संशोधन उपविधि गजट में प्रकाशन होने की तिथि से लागू समझा जायेगा। इस संशोधित उपविधि के लागू होने के उपरान्त

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मीरजापुर

विज्ञापन संख्या 2115/21-14(88-91) स्था0नि0सं0, दिनांक 03 अप्रैल, 1992 (यथा संशोधित) द्वारा प्रकाशित उपनियमों का सम्बन्धित अंश निरस्त समझा जायेगा :

क्र० सं०	व्यवसाय का नाम	वर्तमान दर	प्रस्तावित संशोधित दर	क्र० सं०
		रु०	रु०	31
1	कपड़ा, परचून आदि के सम्मिलित दुकान पर	150.00	500.00	32
2	केवल परचून की दुकान	100.00	100.00	33
3	गल्ले किराने की बड़ी दुकान पर जिसमें 10 क्विंटल या उससे अधिक हो	150.00	1000.00	34
4	केवल परचून की बड़ी दुकान	150.00	500.00	35
5	गल्ला किराना की छोटी दुकान पर जिसमें गल्ला 10 क्विंटल से कम हो	100.00	150.00	36
6	सोना, चांदी की बड़ी दुकान पर	200.00	500.00	37
7	सोना, चांदी के आभूषण बनाने वाली दुकान पर	100.00	300.00	38
8	मेडिकल स्टोर व दवा की दुकान पर	100.00	500.00	39
9	प्रत्येक होटल या हलवाई की दुकान	100.00	500.00	40
10	पुस्तक, कापी एवं स्टेशनरी की सम्मिलित दुकान	100.00	500.00	41
11	लोहे की बड़ी दुकान	200.00	500.00	42
12	लोहे की छोटी दुकान	100.00	300.00	43
13	चाय, पान, नमकीन की सम्मिलित दुकान पर	100.00	100.00	44
14	केवल चाय या पान की दुकान पर	50.00	50.00	45
15	शर्बत, लस्सी या सोडावाटर की दुकान पर	100.00	300.00	46
16	घी या दूध की दुकान पर	100.00	200.00	47
17	लकड़ी या आरा मशीन एवं इमारती लकड़ी की दुकान पर	300.00	1,000.00	48
18	बिना आरा मशीन एवं इमारती लकड़ी की दुकान पर	100.00	300.00	49
19	ईंधन हेतु जलाने वाली लकड़ी के छोटी दुकान पर	50.00	100.00	50
20	ईंधन हेतु जलाने वाली लकड़ी की दुकान पर	100.00	500.00	51
21	अन्य व्यवसाय की दुकान पर	100.00	500.00	52
22	फेरी की दुकान पर	50.00	50.00	53
23	सैलून की दुकान पर	50.00	100.00	54
24	कपड़े की धुलाई की दुकान पर	50.00	100.00	55
25	जूता की बड़ी दुकान पर	100.00	300.00	56
26	जूता की छोटी दुकान पर	50.00	100.00	57
27	सायकिल की दुकान पर	200.00	300.00	58
28	मोटर पार्ट्स की दुकान पर	200.00	500.00	59
29	मोटर मरम्मत की दुकान पर	100.00	300.00	60
30	सायकिल, रिक्सा मरम्मत की दुकान पर	50.00	50.00	61

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मीरजापुर

नियमों	क्र० सं०	व्यवसाय का नाम	वर्तमान दर	प्रस्तावित संशोधित दर
			रु०	रु०
घेत			100.00	300.00
1 दर	31	पत्थर की छोटी दुकान पर	300.00	1,000.00
50	32	पत्थर की बड़ी दुकान पर	100.00	200.00
00.00	33	मिट्टी के तेल की दुकान पर	200.00	500.00
00.00	34	सीमेन्ट की दुकान पर	200.00	500.00
100.00	35	खाद की दुकान पर (रासायनिक) जिसमें सरकारी दुकान या गोदाम सम्मिलित न हो	100.00	300.00
300.00	36	केवल कपड़े की छोटी दुकान पर	200.00	500.00
150.00	37	केवल कपड़े की बड़ी दुकान पर	100.00	400.00
300.00	38	आयुर्वेदिक देशी, यूनानी, होमियोपैथिक दवायें तथा डाक्टर स्ट्रुमेन्ट पदटी, गाज, रुई, दूध के डिब्बे आदि की दुकान पर	200.00	500.00
300.00	39	टीन की बाक्स, बर्तन, अल्युमिनियम के सामान टीन के चादर की दुकान पर	150.00	300.00
500.00	40	स्टेनलेस स्टील की दुकान पर (बर्तन)	250.00	500.00
500.00	41	सिलाई मशीन, टाईप राइटर मशीन व कम्प्यूटर तथा उनसे सम्बन्धित दुकान पर	50.00	100.00
500.00	42	कपड़े की सिलाई मशीन की दुकान पर जिसमें एक मशीन चलती हो	100.00	200.00
500.00	43	कपड़े की सिलाई की दुकान जिसमें एक से अधिक मशीन चलती हो	200.00	300.00
500.00	44	घड़ियों की दुकान जहां घड़ियां बेची जाती हों	50.00	100.00
500.00	45	घड़ी की मरम्मत की दुकान पर	250.00	300.00
300.00	46	रेडियो की दुकान पर जहां रेडियो बेची जाती है	100.00	200.00
100.00	47	रेडियो की मरम्मत की दुकान पर	700.00	2,000.00
50.00	48	पेट्रोल पम्प की दुकान पर	1,000.00	2,000.00
300.00	49	पेट्रोल पम्प एवं डीजल की दुकान पर	150.00	500.00
200.00	50	फर्नीचर की दुकान पर जिसमें सोफा सेट, मसहरी, कुर्सी, टेबुल, चौकी, लकड़ी के दरवाजे, पावा आदि	200.00	500.00
1,000.00	51	साइकिल, रिक्सा या साइकिल के पार्ट्स टायर, ट्यूब आदि के बिक्री की दुकान पर	100.00	500.00
300.00	52	मिट्टी के तेल, डीजल, मोबिल, आयल बेचने की दुकान पर (फुटकर)	200.00	500.00
100.00	53	कृषि सम्बन्धी मशीनरी तथा औजार की दुकान पर	100.00	200.00
500.00	54	फल एवं सब्जी की दुकान पर	100.00	300.00
500.00	55	बाजा की दुकान पर जिसमें हर प्रकार के बाजा बेचे जाते हैं या मरम्मत किये जाते हैं	100.00	300.00
50.00	56	बिजली के मोटर, बल्ब, पंखे, तार, लैम्प आदि की दुकान पर जहां पर बिजली सम्बन्धी हर प्रकार के सामान बेचे जाते हैं	75.00	100.00
100.00	57	लाउडस्पीकर तथा इससे सम्बन्धित सामान रखने की दुकान पर	100.00	200.00
300.00	58	समस्त प्रकार के बीज की दुकान पर जिसमें बीज भण्डार सम्मिलित हो	200.00	500.00
100.00	59	भांग एवं ताड़ी की दुकान पर	100.00	200.00
300.00	60	मोटर साइकिल, पंचर, मरम्मत एवं हवा भरने की दुकान पर	50.00	200.00
500.00	61	खेल खेलने के काम आने वाले सामानों की दुकान पर	100.00	500.00
300.00	62	पत्थर व पत्थर के बने सामानों की दुकान पर	100.00	200.00
50.00	63	क्राकरी की दुकान पर	100.00	500.00
		77 क्रिष्ण के तारिण्ड पेंट. तारपीन के तेल वगैरह की दुकान पर		

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, नीरजापुर

सं०	व्यवसाय का नाम	वर्तमान दर	प्रस्तावित संशोधित दर	क्र० सं०
		रु०	रु०	
65	टेन्ट, शामियाना, तम्बू, कनारा, फूलवारी आदि की दुकान पर जो किराया पर दी जाती हो	300.00	500.00	103
66	रस्सी किरमें जैसे नारियल, सन, बेंत, सुतली की बनी हुई टाट पट्टी, बोरी, मूंज, नेवार व खस की बने सामानों की दुकान पर	100.00	300.00	104 105 106
67	समस्त प्रकार चूना, सफेद सीमेंट, बालू, मोरंग, चिमनी, मारबल रंगीन व संगमरमर की रोड़ी, चूर्ण पाउडर, सफेद खड़िया, रामरज हर तरह के गेरू, मुजैक के दाने आदि की दुकान पर	500.00	1,000.00	107 108 109
68	मेडिकल प्रैक्टिशनर जो दवा भी रखते हो	200.00	1,000.00	110
69	केवल मेडिकल प्रैक्टिशनर	100.00	500.00	111
70	देशी शराब व विदेशी शराब की दुकान पर	1,000.00	2,000.00	112
71	कालीन व दरी प्रतिष्ठान पर	100.00	500.00	113
72	गिट्टी व बालू की दुकान पर एवं मोरम पर	200.00	500.00	114
73	दाल, चावल, मील (पावर डीजल)	1,000.00	2,000.00	115
74	जनरल स्टोर की दुकान पर	100.00	300.00	116
75	टी0बी0 की दुकान पर	500.00	1,000.00	117
76	विडियो की दुकान पर	1,000.00	2,000.00	118
77	सिनेमा घर	2,000.00	2,000.00	119
78	कोल्ड स्टोरज, पावर या अन्य विधि	2,000.00	3,000.00	120
79	कालीन, गलीचा एवं दरी पावर व अन्य विधि	500.00	2,000.00	
80	काती रंगाई व्यवसाय पर	500.00	3,000.00	
81	हस्तकरघा पर	100.00	200.00	
82	कपड़े की छपाई व रंगाई की दुकान पर	100.00	200.00	121
83	नर्सिंग होम 20 बेड का	500.00	1,000.00	
84	नर्सिंग होम 20 बेड से अधिक	1,000.00	2,000.00	
85	प्रसूति गृह 20 बेड का	500.00	1,000.00	
86	प्राइवेट अस्पताल	1,000.00	3,000.00	
87	डेंटल क्लीनिक	200.00	2,000.00	
88	पैथालाजी सेंटर	500.00	3,000.00	
89	एक्सरे क्लीनिक	500.00	3,000.00	
90	फाइनेंस कम्पनी वित्त फण्ड इंश्योरेंस कम्पनी प्रति खाता	1,000.00	2,000.00	प्रत्येक
91	वेल्डर/खराब मशीन/इंजिनियरिंग वर्क्स	500.00	1,000.00	का 10
92	कपाड़ की दुकान पर	300.00	1,000.00	जिसकी
93	फयूल्स	1,000.00	1,000.00	
94	मोपेड ऑटोसेल्स की दुकान पर	2,000.00	2,000.00	
95	स्कूटर, मोटर साइकिल की दुकान एवं एजेंसी की दुकान पर	2,000.00	5,000.00	अधिका
96	बड़ी गाड़ियों की एजेंसी	2,000.00	7,000.00	नियमों
97	गैसेज प्लांट/गैस सिलिन्डर गोदाम	2,000.00	5,000.00	हजार 1
98	ट्रैक्टर एजेंसी	2,000.00	5,000.00	उल्लंघन
99	फैक्टरी के रूप में चालित व्यवसाय जैसे स्ट्रैक्शन प्लांट/तेल शोधक संयंत्र आयल (रिफाइनरी का कारखाना/कच्चा तेल बनाने का कारखाना)	2,000.00	5,000.00	पर 3 रु
100	मुर्गी पालन फार्म	500.00	1,000.00	
101	डबल रोटी, बिस्कुट का कारखाना	500.00	2,000.00	
102	बिस्कुट, लेमन चूस, टाफी की दुकान (कारखाना)	300.00	300.00	पी0एस0 मुद्रक ए

अपर मुख्याधिकारी
जिला पंचायत, गीरजापुर

[भाग 3]

भाग 3]

उत्तर प्रदेश गजट, 9 मई, 2015 ई0 (वैशाख 19, 1937 शत संवत्)

71

स्तावित
धित दर

रु0

क्र0

सं0

व्यवसाय का भाग

वर्तमान दर

प्रस्तावित
संशोधित दर

00.00

103

धरमकांटा

रु0

रु0

00.00

104

सुर्ती (तम्बाकू) की फुटकर एवं थोक दुकान पर

500.00

2,000.00

105

गुड़ अथवा चीनी की थोक दुकान पर

100.00

1,000.00

106

घी, सूजी, मैदा, बेसन आदि के थोक विक्रेता

500.00

1,000.00

100.00

107

चूड़ी की थोक एवं फुटकर दुकान पर

300.00

1,000.00

108

शीशा, फोटो फ्रेम की दुकान पर

100.00

200.00

100.00

109

अण्डा, चाट, पकौड़ी की दुकान पर

100.00

500.00

100.00

110

मिठाई के डिब्बे, कागज के प्लेट, प्लास्टिक के थैले की दुकान पर

100.00

200.00

100.00

111

फोटोग्राफर एवं फोटो स्टेट की दुकान पर

100.00

500.00

100.00

112

बोरिंग/पम्पिंग सेट की दुकान पर

100.00

500.00

100.00

113

ग्रील, शटर, जाली आदि का कारखाना

300.00

1,000.00

100.00

114

ट्रैक्टर ड्राली बनाने का कारखाना

1,000.00

3,000.00

100.00

115

प्रिंटिंग प्रेस

1,000.00

3,000.00

100.00

116

बैटरी बिक्री एवं बनाने तथा चार्ज की दुकान पर

500.00

1,000.00

100.00

117

लान्डी की दुकान

200.00

500.00

100.00

118

सिनेमा अस्थायी (टुरिंग टाकिज) विडियो हाल

100.00

300.00

100.00

119

रेडीमेड कपड़े की दुकान

500.00

1,000.00

100.00

120

राजकीय ठेकेदार

200.00

500.00

100.00

क मु0 1,00,000.00 तक का कार्य

नया

2,000.00

10.00

ख मु0 10,00,000.00 तक का कार्य

नया

4,000.00

10.00

ग मु0 10,00,000.00 से अधिक का कार्य

नया

10,000.00

00.00

121

बड़ी कम्पनियां, कारखाने एवं फैक्टरियां

क ऐसी कम्पनियां जिनका वार्षिक बजट आय (लाभांश) मु0 25.00 लाख रु0 तक हो

नया

25,000.00

00.00

ख ऐसी कम्पनियां जिनका वार्षिक बजट आय (लाभांश) मु0 25.00 लाख रु0 से अधिक एवं

नया

50,000.00

10.00

मु0 100.00 लाख रु0 से कम हो

नया

1,00,000.00

10.00

ग ऐसी कम्पनियां जिनका वार्षिक बजट आय (लाभांश) मु0 100.00 लाख रु0 से अधिक हो

नया

1,00,000.00

10.00

उपनियम

किसी वर्ष के लिए लाइसेन्स अथवा पुराने लाइसेन्स का नवीनीकरण लाइसेन्स समाप्ति वर्ष के 31 मार्च तक प्रत्येक दशा में कराना अनिवार्य होगा। लाइसेन्स अथवा नवीनीकरण के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात् लाइसेन्स शुल्क का 10 प्रतिशत की धनराशि प्रत्येक माह अथवा माह के किसी अंश के लिए विलम्ब शुल्क के रूप में देय होगा जिसकी गणना 01 अप्रैल से की जायेगी।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद (जिला पंचायत) अधिनियम, 1961 की धारा 240 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत मीरजापुर घोषणा करती है कि उपरोक्त उपनियमों में से किसी भी उप नियमों का उल्लंघन करने पर उल्लंघन कर्ता को न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध होने पर रुपया 1,000.00 (रुपया एक हजार मात्र) तक अर्थ दण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहा है, तो रुपये 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना न अदा करने पर 3 माह (तीन माह) का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

अनिल कुमार,

आयुक्त,

विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मीरजापुर